[redacted]

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक सं०–1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 12 पटना, दिनांक– 20/02/18

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना बजट प्रावधान के अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू0 9404.00 लाख (रू0 चौरानवे करोड़ चार लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–28 दिनांक–07.06.2017 द्वारा रू0 22100.00 लाख (रू0 दो अरब इक्कीस करोड़), स्वीकृत्यादेश संख्या– 47 दिनांक– 11.09.2017 द्वारा 7500.00 लाख (रू0 पचहत्तर करोड़) मात्र अर्थात राज्य योजना मद से कुल रू0– 29600.00 लाख (दो अरब छियानवे करोड़) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अन्तर्गत योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के आलोक में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु रू0 9404.00 लाख (रू0 चौरानवे करोड़ चार लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त संपूर्ण स्वीकृत राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के माँग सं०–11 के मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–34–छात्रवृत्ति/वजीफा 0101.34.01– छात्रवृत्ति/वजीफा" विपत्र कोड–11-2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। वे राशि के नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित, दिनांक–07.02.2014), 2011 के नियम–273 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class, roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills", वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808 दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस प्रमाण पत्र के साथ निकासी करेंगे की सूची में वर्णित संस्थान एवं छात्र की जाँच कर ली गयी है और वह सही है।

7– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दिया जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी नहीं की जाय। वे संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेजेंगे।

8– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं।

9– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

10– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20-2-18

(प्रेम सिंह मीणा),

सरकार के सचिव।

(PTO)

D/Vikas/Sanction & Allotment

ज्ञापांक सं०–1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 12 पटना, दिनांक– 20/02/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (बजट)/बजट सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम सोन भवन, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी०मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट **(https:/bcebcwelfare.bih.nic.in)** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.2.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सं०–1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 12 पटना, दिनांक– 20/02/18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव कोषांग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सं०–1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 12 पटना, दिनांक– 20/02/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20.2.18

सरकार के सचिव ।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत/आवंटित राशि की विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्रम सं०	जिला का नाम	स्वीकृत/आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	850.00
2	नालंदा	630.00
3	रोहतास	481.00
4	भभुआ	180.00
5	भोजपुर	203.00
6	बक्सर	204.00
7	गया	584.00
8	जहानाबाद	118.00
9	अरवल	160.00
10	नवादा	170.00
11	औरंगाबाद	287.00
12	सारण	337.00
13	सिवान	360.00
14	गोपालगंज	282.00
15	मुजफ्फरपुर	366.00
16	सीतामढ़ी	360.00
17	शिवहर	20.00
18	प0 चम्पारण	260.00
19	पू0 चम्पारण	290.00
20	वैशाली	272.00
21	दरभंगा	377.00
22	मधुबनी	273.00
23	समस्तीपुर	422.00
24	सहरसा	130.00
25	सुपौल	125.00
26	मधेपुरा	100.00
27	पूर्णियाँ	185.00
28	अररिया	120.00
29	किशनगंज	63.00
30	कटिहार	213.00
31	भागलपुर	224.00
32	बाँका	85.00
33	मुँगेर	114.00
34	लखीसराय	79.00
35	शेखपुरा	70.00
36	जमुई	82.00
37	खगड़िया	100.00
38	बेगुसराय	228.00
	कुल योग	**9404.00**

(रूपये चौरानवे करोड़ चार लाख) मात्र

पत्रांक– 12 दिनांक– 20/02/18 का अनुलग्नक

20.2.18

(प्रेम सिंह मीणा),
सरकार के सचिव।

D/Vikas/Sanction & Allotment